1

कार्यालय नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०,भोपाल.

क्रमांकGPR/पेपर/32/2/0004/2024/ 1923 **भोपाल, दिनांक** 22/11/24

ई निविदा सूचना

चित्र कैलेन्डर, डेट कैलेण्डर एवं नोटबुक में तकनीकी विवरण अनुसार स्पायरल बाइंडिंग कार्य सामग्री सहित कार्यालय उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल परिसर में कार्य करने की क्षमता रखने वाले इच्छुक बाईण्डरों (जिल्दसाजों) से MPSEDC विभाग की वेबसाईट www.mptenders.gov.in से ऑनलाईन की-ड्रेटस अनुसार निविदा दिनांक 12.12.2024 को 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

2. सूचना, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर भी अवलोकन हेतु रखा गया है।

3. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध रहेगीं।

उप नियंत्रक
वास्ते नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०,भोपाल.

Key Dates and Time

1	Bid Closing last Date & Time Submission on Online.	12-12-2024 upto11.00 AM
2	Last Date & Time of Submission Hard Copy	13-12-2024upto 12.30 PM
3	Date & Time of Opening Technical Bids	13-12-2024 upto 1.00 PM

नोटबुक का तकनीकी विवरण

क्र०	विधाएं	विवरण	विवरण
1	2	3	4
1	रिजिट शीट प्रयुक्त की जाना है।	मुख्य एवं बैक 280 माइक्रोन्स रिजिट शीट कलर अनुमोदन अनुसार फ्रंट कव्हर 11 cm X 18cm, एवं बैक कव्हर 11cm X18cm	मुद्रणालय द्वारा मैपलिथों पेपर 80 GSM पेपर पर 80 लीफ चार रंग एवं प्रथम तीन पृष्ठ आर्ट पेपर पर मल्टीकलर मुद्रित कर उपलब्ध कराया जावेगा । गैदरिंग सहित कॉलम क्रमांक 3 पर अंकित शेष सामग्री निविदाकार द्वारा स्वयं लगाई जाना होगी । संपूर्ण सामग्री तैयार कर 20 दिवस में प्रदाय करना अनिवार्य है।
2	नोटबुक की संख्या	55,000 नग	
3	बाइंडिंग का विवरण	फ्रन्ट कवर पर "मध्यप्रदेश शासन" का लोगो / मोनो गोल्डन कलर में स्कीन प्रिंटिंग मुद्रण होगा। 12mm ट्रांस्पैरेन्ट रंग में स्पायरल सहित बाईडिंग, राउण्ड कट।	
4	प्रदाय	न्यूनतम 3000 नग प्रति दिवस तैयार किया जाना अनिवार्य होगा।	

सचित्र कैलेण्डर का तकनीकी विवरण

1	कैलेण्डर की संख्या	85,000 नग	मुद्रणालय द्वारा 150 GSM आर्ट पेपर में मुद्रण कर 8 शीटों में उपलब्ध कराया जावेगा, जिसकी गेदरिंग, स्पायरल पंचिंग, एवं स्पायरल बाईडिंग कार्य निविदाकार द्वारा किया जाना है। 25-25 नग के बंडल तैयार कर बंधन कक्ष को सौपा जाना है। संपूर्ण सामग्री तैयार कर 20 दिवस में प्रदाय करना अनिवार्य है।
2	स्पायरल आकार की चौडाई	18 इंच	
3	कैलेण्डर हुक (रॉड)	17 इंच स्टील का हुक	
4	स्पायरल	ब्लैक रंग 10 mm	
5	प्रदाय	न्यूनतम 4000 नग प्रति दिवस तैयार किया जाना होगा।	

डेट कैलेण्डर (बिना चित्र) का तकनीकी विवरण

1	कैलेण्डर की संख्या	50,000 नग	मुद्रणालय द्वारा 130 GSM आर्ट पेपर में मुद्रण कर 7 शीटों में उपलब्ध कराया जावेगा, जिसकी गेदरिंग, स्पायरल पंचिंग, एवं स्पायरल बाईडिंग कार्य निविदाकार द्वारा किया जाना है। 100-100 नग के बंडल तैयार कर बंधन कक्ष को सौपा जाना है। संपूर्ण सामग्री तैयार कर 20 दिवस में प्रदाय करना अनिवार्य है।
2	स्पायरल आकार की चौडाई	11 इंच की 11cm X 18cm,	
3	कैलेण्डर हुक (रॉड)	11 इंच स्टील का हुक	
4	स्पायरल	ब्लैक रंग 10 mm में	
5	प्रदाय	न्यूनतम 3000 नग प्रति दिवस तैयार किया जाना होगा।	

नोट:- सामग्री तैयार करने हेतु मशीन की व्यवस्था निविदाकार द्वारा स्वयं की जाना होगा, कार्य शासकीय मुद्रणालय में संपादित होगा एवं तैयार कर मुद्रणालय को ही सौपा जाना है।

निविदा की शर्ते

तकनीकी विवरण अनुसार स्पायरल नोटबुक/कैलण्डर्स तैयार करने की अर्हता की पूर्ति करने वाले मुद्रणालय में जीवित पंजीकृत बाइंडरों से MPSEDC की वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन दरें की-डेटस अनुसार प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित समय समाप्ति के पश्चात किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा। निविदा दरों की वैदयता अवधि दिनांक 31-03-2026 तक प्रभावशील रहेगी। अनुबंधित फर्म एवं कार्यालय की आपसी सहमति उपरांत दरों की वैदयता अवधि में एक वर्ष की वृद्धि और की जा सकती है।

निम्न दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

1. निविदा प्रपत्र राशि रूपये 3,000.00 एवं प्रोसेसिंग फीस/सर्विस टैक्स का भुगतान ऑनलाईन किया जाकर निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है।
2. EMD राशि रूपये 1,00,000.00 का ऑनलाईन भुगतान MPSEDC विभाग के पोर्टल से कराना होगा।
3. फर्म के गुमास्ता, GST एवं PAN कार्ड की सत्यापित प्रति।
4. स्पायरल, स्टील हुक एवं किसी भी रंग की रिजिट शीट में विवरण मानक अनुसार डमी (नोटबुक/कैलेन्डर्स नमूना) हार्डकापी में निविदाकार फर्म की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर सहित निर्धारित समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है मानक अनुसार डमी प्रस्तुत नही करने पर निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
5. निविदा की शर्तों पर सहमति निविदाकार को पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर सहित संलग्न करना होगा।
6. कार्य अतिमहत्वपूर्ण एवं समय-सीमा का है, अतः बाइंडिंग कार्य का पर्याप्त अनुभव रखने वाले निविदाकार ही निविदा में भाग लें। अनुभव स्वरूप विगत तीन वित्तीय वर्ष में से किसी एक वित्तीय वर्ष में शासकीय कार्यालयों में किये गये बाइंडिंग कार्य के राशि रूपये 10 लाख तक के शासकीय कार्यादेशों (एकल आदेश अथवा खण्ड आदेश स्वीकार है) की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत न करने पर निविदा पर विचार नही किया जावेगा।
7. सफल निविदाकार को अनुबन्ध निष्पादन करने हेतु कुल प्रदाय आदेश राशि की प्रतिभूति का 5% राशि का FDR या बैंक गांरटी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म०प्र०,भोपाल के पक्ष में 18 माह की अवधि का तैयार कर जमा करना अनिवार्य होगा।
8. यह निविदा आमंत्रण किसी प्रकार का कार्यादेश नहीं है। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करना एवं प्राप्त न्यूनतम दर को बिना कोई कारण बताए दो या अधिक निविदाकार के बीच आदेश को विभाजित करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रक को होगा।
9. यदि आदेशित सामग्री निर्धारित समयावधि में तैयार कर नहीं दिया जाता तो विलम्ब के लिए 2% प्रति सप्ताह के मान से शास्ति अधिरोपित की जावेगी।
10. निविदा की शर्तों से अलग निविदाकार की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
11. फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक की भुगतान योग्य राशि में से नियमानुसार करों का कटौत्रा किया जावेगा तथा प्रस्तुत देयक में GST No. 23AAALD0979P3ZR अंकित करना अनिवार्य होगा।

12. शासन द्वारा समय-समय पर जारी भुगतान संबंधी प्रतिबन्धों या अपरिहार्य परिस्थिति आदि के कारण यदि भुगतान में विलम्ब की स्थिति निर्मित होती है तो लम्बित भुगतान पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

13. यदि L_1 दर के निविदाकार आदेशित सामग्री समय सीमा में तैयार नहीं करता, कार्य करने से मना करता है, तो L_2 दर के निविदाकार से सामग्री तैयार करने हेतु आदेशित करने के लिये नियंत्रक स्वतंत्र होंगे। L_1 दर के निविदाकार से अन्तर की राशि वसूली की जावेगी L_1 दर के निविदाकार द्वारा राशि अंतर की राशि का भुगतान नही किया जाता तो L_1 निविदाकार की EMD/प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। शासन को हुई हानि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जावेगी।

14. किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में अनुबन्ध के प्रावधान के अन्तर्गत पंच निर्णय हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, राजस्व विभाग को भेजा जावेगा और उनका निर्णय दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा। पंच निर्णय हेतु आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधान लागू होंगे। न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

उप नियंत्रक
वास्ते नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०, भोपाल.